राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्रम पंचायत टोगी
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— ग्राम पंचायत टोगी

निर्णय दिनांकः— 25.05.2015

1. श्री प्रकाशचन्द पिता मांगीलाल जाति प्रजापत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्रीमति दाखु बेवा मांगीलाल जाति प्रजापत निवासी टोगी तहसील भीम

बनाम

1. श्री कूम्पसिंह पिता सुजानसिह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
2. श्री नेनूसिह पिता सुजानसिह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
3. श्री विरदसिंह पिता सुजानसिंह जाति रावत निवासी टोगी तहसील भीम
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम।

प्रकरण संख्या :— 62/2013 रे.वा. **अन्तर्गत धाराः—88, 89 व 188 आर.टी.ए**

उपर्युक्त प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारो के बीच आज दिनाक 25.05.2015 राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार 2015'' कैम्प टोगी मे सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नही रहा है। मौजा टोगी के आराजियात निम्न प्रकार हैः—

खसरा नम्बर	**रकबा**	**किस्म**
522	3 विस्वा 10 विस्वांसी	बारानी
534	11 विस्वा 10 विस्वांसी	चाही

कुल किता 2 रकबा 15 विस्वा

दिनांक 20 जनवरी 1979 को श्री विजयसिह पिता श्री खंगारसिह तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 श्री कुंप सिह पिता सुजानसिह , नेनूसिह पिता सुजान सिंह, वरदसिंह पिता सुजानसिंह ने वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति श्री मांगीलाल पिता उदयराम कुम्हार निवासी टोगी को वादपत्र की कमल संख्या 1 में वर्णित आराजियात रूपये 1500/— पंजीकृत बयनामे के बय कर कब्जा सपुर्द किया था। वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति ने उक्त पंजीकृत बयनामे की फोटो प्रति तत्कालीन पटवारी को उक्त भूमि का नामान्तकरण उनके नाम पर खोलने के लिये तत्कालीन पटवारी को दिया उक्त रजिस्ट्री का नामान्तकरण उनके नाम हो जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उक्त जमीन पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाहता है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा कर लिया तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होती जिसकी पूर्ति अर्थ मे सम्भव नही हो सकेगी। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण को आपसी समझाईश करने पर प्रतिवादीगणो का नाम हटाया जाकर वादीगण के नाम पंजीकृत बयनामें के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जात है।

तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
पीठासीन अधिकारी
जिला - राजसमन्द